


उपायुक्त का कार्यालय (जिला राजस्व शाखा) गिरिडीह।

बगोदर अंचल के अन्तर्गत डी.एफ.सी.सी.आई. विशेष रेल परियोजना हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) के संबंध में इस कार्यालय के ज्ञापांक 1057/रा0, दिनांक 29.4.2017 द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र का संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र।


गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) भूमि जो निम्नवत है:-

क्र०	जिला का नाम	अंचल का नाम	वन प्रमण्डल	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकवा (एकड़ में)
1.	गिरिडीह	बगोदर	हजारीबाग पूर्वी प्रमण्डल	असनाबनी	87	1	25	02.41
2.	गिरिडीह	बगोदर	हजारीबाग पूर्वी प्रमण्डल	चौधरीबांध	86	58	1379	01.00
3.	गिरिडीह	बगोदर	हजारीबाग पूर्वी प्रमण्डल	चौधरीबांध	86	58	02	02.32
4.	गिरिडीह	बगोदर	हजारीबाग पूर्वी प्रमण्डल	चौधरीबांध	86	58	1282	0.16
5.	गिरिडीह	बगोदर	हजारीबाग पूर्वी प्रमण्डल	चौधरीबांध	86	58	1319	01.19
6.	गिरिडीह	बगोदर	हजारीबाग पूर्वी प्रमण्डल	चौधरीबांध	86	58	1335	0.03
7.	गिरिडीह	बगोदर	हजारीबाग पूर्वी प्रमण्डल	कोड़ाडीह	85	01	342	01.20
8.	गिरिडीह	बगोदर	हजारीबाग पूर्वी प्रमण्डल	कोड़ाडीह	85	01	382	0.28
							348	0.11
कुल -								08.70

किस्म भूमि जंगल-झाड़ी कुल रकवा 08.70 एकड़ में सन्नहित है, तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि का हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैर मजरूआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।


उपायुक्त, गिरिडीह।

- ज्ञापांक1311...../रा. दिनांक 01/06/2017
- प्रतिलिपि:- मुख्य परियोजना प्रबंधक, डी.एफ.सी.सी.आई. कोलकत्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सरकार के विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी एन.आई.सी. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया जिला के Website पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।


उपायुक्त, गिरिडीह।